अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते : विश्व व्यापार संगठन तथा खाद्य व्यापार समझौतों (एफटीए) ने अक्सर ऐसी नीतियों को प्रोत्साहित किया है जो विकासशील देशों के लिए घातक हैं। इनसे ऊपरी तौर पर इन देशों की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हो जाती है क्योंकि उन्हें पूरी खाद्य-शृंखला पर उद्योगों के नियंत्रण के आगे झुकना पड़ता है और जमीनी स्तर पर लाखों किसानों की जीवन स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है। भारत में मुक्त व्यापार नियमों के कारण सस्ते आयातित माल से बाजार अटे पड़े हैं जबकि हमारे अपने किसान रोटी को मोहताज हो गए है। उन्मुक्त व्यापार नीति के कारण बड़े पैमाने पर निर्यात प्रधान फसलों के लिए भूमि व अन्य संसाधनों का प्रयोग किया जा रहा है जबकि अपने देश में खाद्य-उत्पादन में कमी आ रही है।

सस्टेनैट भारत यह महसूस करता है कि डब्ल्यूटीओ (WTO) की नीतियां व सुधार इस क्षेत्र के गरीब किसानों के लिए घातक हैं। अतः हमारा प्रयास है कि इन मुद्दों पर चर्चा होती रहनी चाहिए।

स्वयंपोषित एवं सतत कृषि

देशभर के अनुभव साफतौर पर यह सिद्ध करते हैं कि स्थानीय संसाधनों पर आधारित सतत कृषि के मॉडल ही इस क्षेत्र के किसानों की आजीविका बचा सकते हैं। दुर्भाग्य से ऋण, बीमा, सब्सिडी, विस्तार आदि के लिए सहायता की वर्तमान व्यवस्था बाह्य – आरोपित वस्तुओं पर आधारित कृषि प्रणाली का ही समर्थन करती है।

हम यह मांग करते हैं कि राष्ट्रीय एवं राज्य सरकारें स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि मॉडल अपनाएं, उन्हें प्रोत्साहित एवं संरक्षित करें। साथ ही हम स्वयंपोषित एवं सतत कृषि के मॉडलों की बड़े पैमाने पर स्थापना के लिए कृत संकल्प हैं।

[1] स्पेशल इकोनॉमिक जोन

[2] कन्सॉलिडेशन के अन्तर्गत दो बातें का समावेश है। पहली, एक किसान के अलग-अलग स्थानों पर बिखरे भूमि के छोटे टुकड़ों को अन्य किसानों से बातचीत करके एक बड़े जोन-क्षेत्र का आकार दे देना, दूसरी, छोटे तथा हाशिए के टुकाडों को खेती करने कानूनी संदर्भों में जोड़ कर बड़े जोन क्षेत्र बनाना

कृषि में जैव परिवर्तन (जीएम) : रासायनिक तथा हाईब्रिड फसलों के बाद अब बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जैविक रूप से परिवर्तित फसलों के पीछे पड़ी हैं। इसमें जीन स्तर पर केवल एक ही प्रकार की उपज और बाजारों पर एकाधिपत्य की संस्कृति पनप रही है। भारत में बीटी कॉटन के कटु अनुभव ने स्पष्ट रूप से दिखा दिया है कि जीएम फसलों से कितनी गम्भीर तकनीकी, पारिस्थितिकीय, आर्थिक एवं सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं।

सस्टेनैट भारत की मान्यता है कि भारत में जहां भरपूर संसाधन उपलब्ध हैं और बड़ी संख्या में लोग आजीविका के लिए कृषि पर टिके हैं, वहाँ जीएम फसलों की खेती को तुरन्त रोका जाना चाहिए। हम 'भारत को जीएम मुक्त' बनाने के लिए किसानों, विभिन्न आन्दोलनों, संस्थाओं और नागरिक समाज संगठनों साथ एकजुट हो कार्य करेंगे।

जैव विविधता का हास एवं जैव वस्तुओं पर पेटेन्ट : कृषि का वर्तमान मॉडल एकल फसल और एकल संस्कृति पर आधारित है। आधुनिक कृषि प्रथा में जोताई के वर्तमान तरीकों और कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग ने कृषि आधारित पारिस्थितिक-प्रणाली की जैव विविधता को नष्ट कर डाला है। बौद्धिक सम्पदा समझौतों (टीआरआईपीएस) ने जैव-वस्तुओं के पेटेन्ट के रूप में एकाधिकार व नियंत्रण का एक नया अध्याय खोल दिया है। इसके कारण धन स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं से निकल कर बहुराष्ट्रीय निगमों के कोषों में पहुँचने लगा है। विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अधिनियमों व समझौतों के माध्यम से बीज पर से किसान के स्वामित्व को हटा देने के परिणाम न केवल कृषक समाज के लिए घातक सिद्ध होंगे अपितु विकासशील देशों की खाद्य-स्वायत्तता ही दाँव पर लग जाएगी।

सस्टेनैट भारत जैव विविधता सम्मेलन और उसमें लोगों की सक्रिय हिस्सेदारी का दृढ़ता पूर्वक समर्थन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि देश के सभी भागों में पैदा होने वाली स्थानीय वनस्पति की किस्मों की पहचान और उनका संरक्षण व प्रोत्साहन कृषि नीति का मुख्य भाग होना चाहिए। इसी के साथ यह भी जुड़ा है कि विश्व में कहीं भी जैव-वस्तुओं पर पेटेन्ट नहीं होना चाहिए।

सस्टेनैट भारत दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है कि किसानों को अपने अनुसार फसलें उगाने और अपनी मर्जी के बीजों का प्रयोग करने की पूरी स्वतन्त्रता है।

महिलाएँ एवं कृषिः हमारे देश में महिलाएँ खेतों में भरपूर हाथ बटाती हैं जबकि भूमि और अन्य संसाधानों पर उनका कोई अधिकार नहीं होता। वर्तमान कृषि संकट से उपजी परिस्थितियों में किसानों द्वारा आत्महत्या कर लेने अथवा विस्थापन के कारण महिलाओं पर काम का बोझ और अधिक बढ़ गया है।

सस्टेनैट भारत भारतीय परिप्रेक्ष्य में भूमि तथा अन्य कृषि संसाधनों पर महिलाओं के समान अधिकार का दृढ़तापूर्वक समर्थन करता है।

किसानों के लिए उचित मूल्य व आय में उचित हिस्सेदारी के लिए बाजार नियमों में सुधार : वर्तमान खाद्य-शृंखला में किसान सबसे कमजोर एवं शोषित कड़ी है। पिछले कई वर्षों में कृषि की पैदावार में वृद्धि के बावजूद किसानों को उसका उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। बाजार सुधार के नियम इस स्थिति को और बिगाड़ रहे हैं।

सस्टेनैट भारत की मान्यता है कि किसानों को समुचित मूल्य और आय में पूरी हिस्सेदारी मिले, इसके लिए पूरी स्थिति पर पुनर्विचार होना चाहिए।

Sustainet India

डा. पूनम पाण्डे

बी-4, ग्रेटर कैलाश एन्कलेव II, नई दिल्ली-110 048, भारत

फोन : 0091-11-40520139 • फैक्स : 0091-11-40520133

मोबाइल : 09871766826 • इन्टरनेट : www.sustainet.org

ई-मेल : poonam.pande@gmail.com, poonam.pande@gtz.de

Sustainet India

सस्टेनैट भारत : सतत कृषि पर स्थिति प्रपत्र 2008

VIKASA

RURAL COMMUNES

Navdanya

सस्टेनैट भारत : सतत कृषि पर स्थिति प्रपत्र

भारत में लाखों छोटे व सीमान्त किसान हैं। देश की 60 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या की आजीविका का साधन सीधे अथवा परोक्ष रूप से कृषि से जुड़ा है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने हरित क्रान्ति का मार्ग अपनाया जो मुख्य रूप से तकनीकी प्रधान है और पाश्चात्य औद्योगिक मॉडल पर आधारित है। शुरू में इसके अच्छे परिणाम दिखे परन्तु धीरे धीरे कृषि का यह मॉडल शोषणकारी होता चला गया और किसानों की आधारभूत आजीविका तथा सम्पूर्ण कृषि प्रणाली पर ही खतरा मंडराने लगा। बड़ी संख्या में किसानों द्वारा की जाने वाली आत्महत्याएं, खेती छोड़कर आजीविका के दूसरे साधन अपना लेना, गांव से शहरों की ओर भागना तथा पर्यावरणीय विनाश इस खतरे की पुष्टि करते हैं। अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई गई 'हरित क्रान्ति' की अवधारणा ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति को संवारने की अपेक्षा और बिगाड़ दिया। वैश्विक बाजारों पर अपना एकाधिपत्य बनाए रखने की होड़ ने कमजोर व छोटे किसानों और उनके परिवारों को हाशिए पर ला खड़ा किया है। कृषि के आद्यौगीकरण ने न केवल फसलों के चुनाव, अपितु सम्पूर्ण फसल चक्र को ही बदल डाला है। कई बार तो उगाई जाने वाली फसलों और मौसम की परिस्थितियों में ही तालमेल नहीं बैठता। देश के वर्तमान कृषि-संकट में इस प्रक्रिया के दुष्परिणाम साफ तौर पर झलकते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले मौसमी उतार चढ़ावों ने इस परिदृश्य को और अधिक शोचनीय बना दिया है।

प्रमुख अवधारणा

सस्टेनैट भारत की मान्यता है कि खाद्य एवं कृषि से सम्बन्धित विषयों को सम्बोधित करने के लिए संसाधनों पर किसानों के नियंत्रण की नीति अपनाई जानी चाहिए। इसके अनुसार कृषि, मत्स्यपालन, वन और भूमि से सम्बन्धित विषयों पर नीति निर्धारण करते समय प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर किसानों की सहभागिता होनी चाहिए।

सस्टेनैट के कार्यों में उन संस्थाओं व नैटवर्कों से सम्पर्क साधना और सहयोग स्थापित करना भी शामिल है जो सम्बन्धित विषयों पर समान विचारधारा रखते हैं। इससे नीतियों और प्रथाओं का अनुपालन अधिक प्रभावी तौर पर किया जा सकेगा और पूरे देश में सतत् कृषि के प्रचार-प्रसार में सहायता मिलेगी।

महत्वपूर्ण मुद्दे

आज भारत में कृषि से सम्बन्धित अनेक मुद्दों पर ध्यान दिया जाना आवश्यक हैं। सस्टेनैट के अनुसार देश की समूची कृषि प्रणाली में परिवर्तन लाने के लिए इन मुद्दों पर समग्र रूप से विचार किया जाना चाहिए।

कृषि संकट और छोटे किसान

खेती के लिए आवश्यक वस्तुओं के बाहरीकरण के चलते खेती की बढ़ती लागत और उसके उत्पाद के कम मूल्य निर्धारण के कारण किसानों के सभी वर्गों के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में खेती की अच्छी पैदावार के बावजूद किसानों को उसके सही मूल्य नहीं मिल रहे हैं और वर्तमान बाजार सुधार नियमों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है।

इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि भूमि को विभिन्न कारणों से कृषि से हटाकर अन्य कार्यों में प्रयोग करने -- जैसे विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)[1] बनाने, जैव ईंधन के उत्पादन, शहरी विकास व अन्य विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण सारे देश में हजारों किसान अपनी आजीविका से हाथ धो बैठे हैं और अब अन्य विकल्प ढूंढ रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार अगर यही स्थितियां रहीं तो वर्ष 2015 तक 40 करोड़ किसान विस्थापित हो जाएंगे। यह निश्चय ही विश्व का सबसे बड़ा मानव-विस्थापन होगा।

भारत में लघु व सीमान्त किसान जिनके पास 2 हैक्टेअर से कम भूमि है, कुल भारतीय किसानों की संख्या का 80 प्रतिशत है और उनमें से अधिकतर अपनी फसलों के लिए वर्षा पर निर्भर करते हैं। हालांकि छोटे टुकड़ों पर खेती करने के आर्थिक व पारिस्थितिक दृष्टि से अपने फायदे हैं परन्तु भारत की वर्तमान कृषि-नीति के अनुसार छोटे खेतों में खेती करना कम फायदेमंद अव्यावहारिक एवं अनुत्पादक है। सरकारी कृषि नीति उत्पादन की समस्या के समाधान के लिए भूमि समेकन (कन्सॉलिडेशन)[2] की पक्षधर है और बाजारों की खुली प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करती है। इस नीति के चलते बड़े किसानों को लाभ मिलता है जबकि छोटे किसान उत्पादकता की दौड़ में पिछड़ जाते हैं और अन्ततः खेती ही छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं।

सस्टेनैट और सस्टेनैट भारत

सस्टेनैट का प्रारम्भ 2003 में जर्मन संघीय सरकार के एक कार्यक्रम के अन्तर्गत हुआ। सस्टेनैट शब्द 'सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन्फॉरमेशन नैटवर्क' (सतत कृषि सूचना नैटवर्क) का लघु रूप है। यह एक जर्मन नैटवर्क और उसके तीन विभिन्न देशों-भारत, केन्या/तंजानिया तथा पेरू/बोलीविया में कार्यरत तीन अग्रणी नैटवर्कों से मिलकर बना है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इस कार्यक्रम का ध्येय स्थानीय, राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के मध्य नैटवर्क स्थापित करना है।

सस्टेनैट का मुख्य उद्देश्य सतत् कृषि के क्षेत्र में स्थानीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तौर तरीकों और रणनीतियों के साथ-साथ उत्तम कृषि प्रथाओं का व्यवस्थित ढंग से मूल्यांकन, प्रसार एवं प्रचार करना है। सस्टेनैट ने तीन महाद्वीपों- अफ्रीका, एशिया एवं लैटिन अमरीका के अपने अनुभवों का मूल्यांकन, दस्तावेजीकरण और प्रकाशन किया है।

सस्टेनैट भारत में ऐसी सामाजिक संस्थाओं का नैटवर्क है जिन्होंने उत्तम कृषि प्रथाओं (गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसिज़-जीएपी) का विकास किया है। ये संस्थाएं सतत कृषि की अवधारणा पर केन्द्रित हैं और राष्ट्रीय स्तर पर पारिस्थितिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से टिकाऊ कृषि को प्रचारित एवं प्रोत्साहित करती हैं। सस्टेनैट इन्डिया इस विचार का पोषण करता है कि सतत कृषि के माध्यम से मिट्टी के उपजाऊपन तथा जल की गुणवत्ता का संरक्षण और उसमें सुधार होना चाहिए। जैवविविधता की पुनर्प्रतिष्ठा की जानी चाहिए तथा ऊर्जा की व्यर्थ की खपत से बचा जाना चाहिए। इससे उत्पादन में वृद्धि के साथ-साथ किसानों की आय भी सुरक्षित होगी। इसके दूरगामी परिणाम अच्छे होंगे, खाद्य पदार्थ अधिक पुष्टिवर्धक और सहज उपलब्ध होंगे। सतत कृषि में साधनहीन किसानों को विकास कार्यों से जोड़ा जाना चाहिए और हमारे पुरखों की सदियों से चली आ रही अनुभव जन्य प्रथाओं, रीतिरिवाजों तथा समाजोपयोगी परम्पराओं की रक्षा की जानी चाहिए। इसके अन्तर्गत स्थानीय ज्ञान का लाभ उठाया जाना चाहिए और लिंग व आयु के पूर्वाग्रहों से परे कार्य और उसके अनुसार आय का समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। सतत कृषि के अन्तर्गत भूमि, जल, पूंजी और नई खोजों पर सबका बराबर का अधिकार एवं किसानों को अपनी योग्यता तथा ज्ञान में वृद्धि करने के समुचित अवसर उपलब्ध होने चाहिएं।

सस्टेनैट भारत भूमि के छोटे टुकड़ों पर खेती का समर्थक है। वह विशेष रूप से खेती के लिए ऋण, बीमा, सब्सिडी आदि दिलवाने में सहायता करता है। साथ ही वह वास्तविक भूमि सुधारों का समर्थक है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भूमि खेतीहर मजदूर व भूमिहीन किसानों को मिले। इस संदर्भ में राष्ट्रीय तथा राज्य सरकारों को चाहिए कि वे बड़े पैमाने पर स्वयं-पोषित एवं सतत कृषि को अपनाने, उसे प्रोत्साहित करने एवं उसके संरक्षण की दिशा में कार्य करें।

भूमि व जल जैसे उत्पादक संसाधनों का निजीकरण

आजकल बड़े पैमाने पर भूमि व जल जैसे उत्पादक संसाधनों का निजीकरण करने की मुहिम चलाई जा रही है। उद्योगों को इन संसाधनों पर अपना आधिपत्य जमाकर उनका व्यापार करने की खुली छूट दी जा रही है। इस स्थिति के लिए विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपनाए गए भूमि सुधार उपाय जिम्मेदार हैं।

सस्टेनैट भारत यह मांग करता है कि साझे प्राकृतिक संसाधनों (भूमि व जल) का निजीकरण समाप्त किया जाय। हम इस बात पर जोर देते हैं कि राष्ट्रीय व राज्य सरकारें स्थानीय संसाधनों पर आधारित कृषि के मॉडलों को अपनाएं, उन्हें प्रोत्साहित करें और उनका संरक्षण करें। साथ ही हम स्वयं-पोषित व सतत कृषि के मॉडलों की स्थापना के लिए हर संभव कदम उठाएंगे।